सेवा में,

वरीय पुलिस अधीक्षक,
पटना।

विषयः–सोशल मिडिया पर प्राप्त वीडियों जिसमें श्री के0 के0 पाठक, अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग–सह–महानिदेशक, बिपार्ड द्वारा दिये गये वक्तव्य पर उनके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कल दिनांक–02.02.2023 को सचिवालय थाना में श्री के0 के0 पाठक के विरूद्व बिहारवासियों तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के महिला/पुरूष/पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति सहित सभी वर्गो के पदाधिकारियों के प्रति गाली–गलौज करने हेतु प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया था। सचिवालय थाना द्वारा इसकी प्राप्ति रसीद भी दी गई थी परन्तु एक दिन बीत जाने के बाद भी अबतक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

अतः अनुरोध है कि थानाध्यक्ष, सचिवालय थाना को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय ताकि बिहारवासियों सहित बिहार प्रशासनिक सेवा जिसमें सभी वर्गो के पदाधिकारियों को न्याय मिल सके।

अनुलग्नक:- FIR की प्रति।

विश्वासभाजन
ह0/–
(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव
बिहार एडमिस्ट्रिेटिव सर्विस एसोसियेशन
इन्कम टैक्स गोलम्बर के उत्तर
नेहरू मार्ग, पटना।

ज्ञापांक– 11 दिनांक– 03.02.2023

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक, बिहार/अपर पुलिस महानिदेशक/नगर पुलिस अधीक्षक, पटना/अपर पुलिस अधीक्षक, सचिवालय/थानाध्यक्ष, सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/23

सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव
बिहार एडमिस्ट्रिेटिव सर्विस एसोसियेशन
इन्कम टैक्स गोलम्बर के उत्तर
नेहरू मार्ग, पटना।

पत्रांक–11 दिनांक–03.02.2023

सेवा में,

वरीय पुलिस अधीक्षक,
पटना।

विषयः–सोशल मिडिया पर प्राप्त वीडियों जिसमें श्री के0 के0 पाठक, अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग–सह–महानिदेशक, बिपार्ड द्वारा दिये गये वक्तव्य पर उनके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कल दिनांक–02.02.2023 को सचिवालय थाना में श्री के0 के0 पाठक के विरूद्व बिहारवासियों तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के महिला/पुरूष/पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति सहित सभी वर्गो के पदाधिकारियों के प्रति गाली–गलौज करने हेतु प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया था। सचिवालय थाना द्वारा इसकी प्राप्ति रसीद भी दी गई थी परन्तु एक दिन बीत जाने के बाद भी अबतक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

अतः अनुरोध है कि थानाध्यक्ष, सचिवालय थाना को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय ताकि बिहारवासियों सहित बिहार प्रशासनिक सेवा जिसमें सभी वर्गो के पदाधिकारियों को न्याय मिल सके।

अनुलग्नकः- FIR की प्रति।

विश्वासभाजन

03/02/2023

(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव
बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन
इन्कम टैक्स गोलम्बर के उत्तर
नेहरू मार्ग, पटना।

पत्रांक–07 दिनांक–02.02.2023

सेवा में,

थानाध्यक्ष,

सचिवालय थाना, पटना।

विषय–सोशल मिडिया पर प्राप्त वीडियो जिसमें श्री के. के पाठक, अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग – सह– महानिदेशक, बिपार्ड द्वारा दिये गये वक्तव्य की जाँच करने एवं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं सुनील कुमार तिवारी, पिता– स्व0 पृथ्वीराज तिवारी, महासचिव, बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन, बासा भवन, इन्कमटैक्स गोलबंर थाना– कोतवाली, पटना सूचित करना है कि मेरे सेवा के नये पदाधिकारियों की ट्रेनिंग बिपार्ड में चल रही है इसी दौरान **एक विडियो प्राप्त हुआ** तथा कुछ ट्रेनी से सूचना प्राप्त हुई कि ठंड में 5 बजे सुबह उठाकर जबरदस्ती कठोर शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे एक सहकर्मी स्व0 विवेक कुमार की मृत्यु ट्रेनिंग के दौरान हो गई थी।

इस आधार पर संघ की कार्यकारिणी की बैठक कर ट्रेनिंग में अपेक्षित सुधार हेतु मुख्य सचिव महोदय से लिखित अनुरोध किया गया। बासा के इस ज्ञापन के कारण श्री के0के0पाठक, महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान–सह–अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा संघ एवं उनके सदस्यों से काफी क्रोधित हो गये तथा प्रेस विज्ञप्ति कर अनाप–सनाप आरोप लगाया गया। उनके इशारे पर इसी क्रम में सहायक निबंधन, महानिदेशक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा हमारे संघ की मान्यता विधि विरूद्व तरीके से रद्द कर दी गई जबकि बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रेशन नियमावली 2018 में उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है।

कल दिनांक–01.02.2023 को संध्या 07.30 बजे के आसपास सोशल मिडिया पर 36 सेकेडं का एक वीडियो प्राप्त हुआ है। वीडियो देखने से स्पष्ट है कि जिसमें श्री के. के पाठक, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग –सह– महानिदेशक बिपार्ड द्वारा बिहार के निवासी एवं बिहार के बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस के पदाधिकारियों के लिए अभ्रद भाषा एवं गाली का प्रयोग किया जा रहा है। बिहार के वासियों एवं हमारी सेवा के पदाधिकारियों के लिए निम्न बाते कही गई हैः–

"*यहां का लोग आदमी जैसा है चेन्नई में आदमी साला बाएं से चलता है यहां देखे हो किसी को बाएं से चलते, लाल लाईट पर हॉर्न बजाते देखे हो किसी को, यहां साला ट्रेफिक पर पै पै हॉर्न बजायेगा साला यहां का आदमी आदमी है, डिप्टी कलेक्टर साले का यह हाल है, अब मैं इन सालों की मैं, अरे जारा दो चार लोग लिख कर दो कागज पर साला डिप्टी कलेक्टर इनकी ऐसी की तेसी करता हूँ कल जरा इसको भेजों मेरे को, मैं बासा का बैण्ड बजाता हूँ और जारा इसको मेरे को भेजों और 13 तारिख को और डिसक्स करेगें वेडन्सडेय को"

श्री पाठक द्वारा बिहार को लोगों तथा बिहार प्रशासनिक सेवा , डिप्टी कलेक्टर तथा बासा (बिहार एडमिस्ट्रिेटिव सर्विस एसोसियेशन) के प्रति गाली एवं आत्तिजनक शब्दों का प्रयोग

सं0 प्राथमिकी
प्राप्त
02.02.23
सचिवालय थाना पटना

किया गया है, जो बेहद आपत्तिजनक तथा गैरकानूनी है इससे हमारी सेवा के सभी सदस्य आहत है। श्री पाठक जैस उच्च पद पर पदस्थापित पदाधिकारी द्वारा ऐसे शब्दो का प्रयोग करना इंगित करता है कि यह मानसिक रुप से बिहार के निवासी तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के प्रति विद्वेष की भावना रखते है,

विडियो देखने से स्पष्ट है कि यह वीडियो सचिवालय थाना अंर्तगत नया सचिवालय (विकास भवन) अवस्थित मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मिटिंग हॉल का है। इस वीडियो में कई पदाधिकारी बैठे दिख रहे है जिनसे इस वीडियो की सत्यता की सम्पुष्टि की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि श्री के. के पाठक, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग – सह– महानिदेशक बिपार्ड के विरुद्ध बिहारवासियों तथा डिप्टी कलेक्टर को गाली देने तथा अपमानजक शब्दों का प्रयोग करने हेतु भारतीय दडं सहिता की सुसगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नकः– विडियो की सी0डी0

विश्वासभाजन

04/07/2023

सुनील कुमार तिवारी

महासचिव,

बिहार एडमिस्ट्रिेटिव सर्विस एसोसियेशन